



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25714-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **2622/2026**

ऋचा यादव

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: बृज भूषण मिश्रा, विश्वेश दत्त मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कथन दिया है कि वे इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
2. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"